



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 08/2015

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा, 2015 के परीक्षार्थियों, अभिभावकों, केन्द्राधीक्षकों एवं परीक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में दिनांक 14.02.2015 से परीक्षा अवधि तक पूर्वाह्न 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों की सहूलियत के लिए माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या:-

परिषद् कार्यालय, राँची

अध्यक्ष कोषांग - 0651-2261999 (फैक्स), 0651-6453342

सचिव कोषांग - 0651-6453344, 0651-2260335 (फैक्स)

परीक्षा नियंत्रक कक्ष - 0651-6453346, 0651-6453348

टोल फ्री - 18003456523

क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका:- 06434-236134 (फोन एवं फैक्स)

प्रभारी पदाधिकारी - 9031503108, 9431156108

प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर

प्रभारी पदाधिकारी - 9905810958

प्रभारी- 9431917551

* सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों एवं परीक्षा से जुड़े सभी कर्मियों/पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा, 2015 के कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

* **निःशक्तजनों को अतिरिक्त समय देने तथा सह लेखक उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश:-** परीक्षा विनियम की कंडिका 35 तथा 36 के आधार पर निःशक्तजनों को अतिरिक्त समय देने तथा सह लेखक उपलब्ध कराने का प्रावधान निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध है।

1. Examination to Spastic, Blind and Physically Handicapped children: Blind and physically handicapped student appearing for the Council Examination is permitted to use an amanuensis, and shall be allowed an additional half an hour (30 minutes) time for each paper.

2. Use of Amanuensis and Appointment of Amanuensis

(i) Amanuensis may be allowed in the following cases. (a) to be blind of physically handicapped of spastic candidate. (b) On sudden illness rendering the candidate unable to write as certified by a Medical officer not below the rank Assistant Surgeon. (c) In the case of an accident rendering the candidate unable to write the examination as certified by Medical officer not below the rank of Assistant Surgeon.

(ii) The amanuensis must be a student of a class lower than the one for which the candidate is taking the examination.

(iii) The superintendent of the examination centre concerned shall choose a suitable amanuensis and forward a report giving full particulars of the candidate and of the amanuensis for his consideration.

(iv) The Centre Superintendent shall arrange a suitable room for the candidate for whom an amanuensis is allowed and appoint one special Assistant Superintendent/Invigilator to supervise his examination.

(v) Such a candidate shall pay fee as may be prescribed for use of amanuensis. However, a blind or physically handicapped or spastic candidate will be provided services of an amanuensis free of cost.

(vi) The amanuensis shall be paid by the Council remuneration as prescribed by the Council from time to time.

उक्त के आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से निःशक्तजनों को लेखक उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चंद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/गो./664/SECY/57/15

Dt. 13.02.2015

D.O.P : 14.02.2015